

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – ओपीओ सहारण आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या – 33/17 एवं 53/17

तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर

----- प्रार्थी

बनाम

1. रमेशचन्द शर्मा पुत्र श्री गनेशीलाल शर्मा जाति ब्राम्हण निवासी शास्त्री नगर सैक्टर नं० 5 जी०टी० रोड धौलपुर ।
2. राधा कृष्ण हिन्दू उत्थान शिक्षा समिति

----- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177
आरटीए

निर्णय

दिनांक – 14.06.18

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 540 रकवा 3 विश्वा, 541 रकवा 15 विश्वा व 626 रकवा 1 विश्वा किस्म बंजड बाके ग्राम ताल ओंडेला तहसील धौलपुर अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है। अप्रार्थीगण को काश्त करने का पूर्ण अधिकार है किन्तु अकृषि प्रयोजन में लेने हेतु राज० सरकार के नियमों के अन्तर्गत भूमि संपरिवर्तन कराये बिना कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थीगण ने अपने अधिकारों का उल्लंघन कर शर्त भंग की है। अप्रार्थीगण ने बिना भूमि संपरिवर्तन कराये एवं बिना अनुमति के विवादित आराजी खसरा नम्बर 540 रकवा 3 विश्वा, 541 रकवा 15 विश्वा व 626 रकवा 1 विश्वा ग्राम ताल ओंडेला पर कालेज भवन स्थापित कर दिया है जो कानूनी रूप से अवैध है तथा अप्रार्थी के बिना भूमि संपरिवर्तन कराये विवादित भूमि का अकृषि प्रयोजन करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर निहित अपने अधिकारों का हनन कर कृषि भूमि को हानि पहुंचाकर शर्त भंग की है जिसके तहत अप्रार्थी विवादित भूमि से बेदखल किये जाने व विवादित भूमि को सिवायचक किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अंतर्गत भूमि को सिवायचक दर्ज कराने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत फिरोजपुर में पेश हुयी। पैरोकार सरकार उपस्थित आये। अप्रार्थीगण बावजूद तामील के उपस्थित नहीं आये। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी ने बिना सक्षम स्वीकृति के अपनी खातेदारी की कृषि भूमि में निर्माण कार्य

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज०)

कर लिया है जिसमें कालेज संचालित है। इस प्रकार अकृषि कार्य किया जा चुका है। अप्रार्थी को सूचना के बावजूद भी वह रूपान्तरण नहीं करा रहे हैं। अतः भूमि को आरटीए की धारा 177 के अन्तर्गत सिवायचक दर्ज करने के आदेश दिये जावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न नकल जमावन्दी सम्वत् 2069-72 ग्राम खेरली के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 540 रकवा 3 विश्वा, 541 रकवा 15 विश्वा व 626 रकवा 1 विश्वा पर अप्रार्थी खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड हैं। पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट पटवारी हल्का के अनुसार इस आराजी में बिना सक्षम स्वीकृति के निर्माण कार्य कर कालेज का भवन स्थापित कर लिया है। अप्रार्थी के द्वारा अभी तक भूमि रूपान्तरण हेतु आवेदन नहीं करना बताया गया।

उपरोक्त आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 540 रकवा 3 विश्वा, 541 रकवा 15 विश्वा व 626 रकवा 1 विश्वा ग्राम ताल ओंडेला के खातेदार काश्तकार द्वारा अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है जो कि राजस्थान काश्तकारी नियमों का उल्लंघन है व अप्रार्थी को इसका कोई हक प्राप्त नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत हम विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज किया जना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा 540 रकवा 3 विश्वा, 541 रकवा 15 विश्वा व 626 रकवा 1 विश्वा ग्राम ताल ओंडेला तहसील धौलपुर पर खातेदार अप्रार्थी के खातेदारी अधिकार समाप्त कर आराजी को सिवायचक घोषित किया जाता है। तहसीलदार धौलपुर को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर भूमि से खातेदार को बेदखल कर भूमि कब्जे राज लेकर रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावें। पत्रावली फ़ैशल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर लोक अदालत कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत फ़िरोजपुर में सुनाया गया।

(ओपीओ सहायक)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर